न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :— डॉ. गौरव सैनी आई.ए.एस.

मुकदमा संख्याः— दावा संख्या 116/2018

निर्णय दिनांक :— 21-10-2019

1. बीरबलराम पुत्र डूंगरराम जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील रतनगढ जि. चूरू
... वादी

बनाम

1. रामेश्वरलाल
2. महेन्द्र
3. कमला
4. राजूड़ी
5. रूकमा

(1 से 5) पुत्र पुत्रियां स्व. सूरजाराम जाति तारग निवासी गोगासर तहसील रतनगढ जिला चूरू

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ जिला चूरू

.....प्रतिवादीगण

उपस्थितः—

1. श्री रामचन्द्र ज्याणी अभिभाषक वादी
2. पैरोकार राज

दावा विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा प्राप्ती
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

1. वादी की ओर से प्रस्तुत यह दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कृषि भूमि के विभाजन हेतु दिनांक 19.7.2019 को प्राथमिक रूप से डिकी किया गया। वादी एवं प्रतिवादी गण की संयुक्त खातेदारी के खेत ख.नं. 180 तादादी 10 बीघा, खसरा नं. 181 तादादी 57 बीघा 13 विश्वा एवं खेत ख.नं. 249 तादादी 11 बीघा 07 विश्वा कुल तादादी 79 बीघा भूमि वाके रोही ग्राम मेलूसर में स्थित चली आ रही है। जिसमें वादी का 1/4 हक हिस्सा संयुक्त दर्ज चला आ रहा है। तहसीलदार, रतनगढ से मौके की स्थिति के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार की ओर से दिनांक 18.9.2019 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

2. विभाजन प्रस्ताव पर बहस विद्वान अभिभाषक एवं पैरोकार राज सुनी गई। विभाजन प्रस्ताव एवं राजस्व रेकार्ड का भलिभातीं अवलोकन किया गया। वादी की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपति नही होना जाहिर किया गया है। पैरोकार राज ने भी विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खाता एवं लगान कायम करने में कोई आपति नही की है। वादगत भूमि की किस्म

21.10.19
उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

एक जैसी है तथा रेकार्डेड हिस्से का मौके के अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अतः दावा वादी अतिंम रूप से डिकी किये जाने योग्य है।

आदेश

दावा वादी अतिंम रूप से डीकी किया जाता है। वादगत भूमि का खाता एवं लगान का विभाजन निम्न प्रकार से करने के आदेश दिये जाते है।

क.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	क्षेत्रफल है. में	लगान
1.	बीरबलराम पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी चैनपुरा खातेदार	180 मी. उत्तरी 181मी. उत्तरी पूर्वी	0. 5058बादो 4.4895 बादो	0.20 1.79
		किता 2	4.9953 बादो	1.99
2.	1. कमला पुत्री सुरजाराम हि. 1/10 जाति महाब्राह्मण (अचरिज) नि. गोगासर 2. महेन्द्र पुत्र सुरजाराम हि. 7/20 जाति महाब्राह्मण (अचरिज) नि. गोगासर राहिन हि. पूर्ण स्टैट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा गोगासर 3. रूकमा पुत्री सुरजाराम हि. 1/10 जाति महाब्राह्मण (अचरिज) नि. गोगासर 4. राजूड़ी पुत्री सुरजाराम हि.1/10 जाति महाब्राह्मण (अचरिज) नि. गोगासर 5. रामेश्वरलाल पुत्र सुरजाराम हि. 7/20 जाति महाब्राह्मण (अचरिज) नि. गोगासर खातेदार राहिन हि. पूर्ण स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा गोगासर	180 मी. दक्षिणी 181 मी. पश्चिमी 249	2.0235 बादो 10.0918 बादो 2.8707 बादो	0.81 4.04 1.15
	योग	किता 3	14.9860 बादो	6.00

तहसीलदार रतनगढ डिकी का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। अतिंम पर्चा डिकी नियमानुसार जारी हो।

आदेश आज दिनांक 21-10-2019 को बसरे ईजलास सुनाया गया।

[signature] 21.10.19

(डॉ. गौरव सैनी)

उपखण्ड अधिकारी

रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

Judl./Crim
Part- IV-10

अंतिम डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'- 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रतनगढ़
इजलास डॉ गौरव सैनी आई० ए० एस

बीरबलराम बनाम रामेश्वरलाल वगैरह

दावा बाबत 53/188 काश्तकारी एक्ट 1955

मुकदमा नं. 116 सन् 2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय
व हाजरी श्री रामचन्द्र ज्याणी मिनजानिब मुद्दई व एकतरफा
मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि
दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त भूमि का खाता एवं लगान का विभाजन निम्न प्रकार से करने के आदेश दिये जाते है।
खाता।

निज .... मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21 माह 10 2019
को जारी की गई

मुहर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा रतनगढ़ (चूरू)

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			......		
मीजान......			मीजान......		

नोट– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेम का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

Scanned by CamScanner

क्रम	नाम खातेदार	खसरा नं०	क्षेत्रफल है. में	लगान
1	बीरबलराम पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी चैनपुरा खातेदार	180 मी उतरी 181 मी उत्तरीपूर्वी	0-5058 बारानी 4-4895 बा. दो	0-[illegible] [illegible]-79
	किता	2	4-9953	1-99
2	1 कमला पुत्री सुरजाराम हि 1/10 जाति महाब्राह्मण (अचरिज) नि० गोगासर 2 महेन्द्र पुत्र सुरजाराम हि 7/20 जाति महाब्राह्मण (अचरिज) नि० गोगासर राहिन हि० पूर्ण स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा गोगासर 3 रुकमा पुत्री सुरजाराम हि 1/10 जाति महाब्राह्मण (अचरिज) नि० गोगासर 4 राजूदेवी पुत्री सुरजाराम हि 1/10 जाति महाब्राह्मण (अचरिज) नि० गोगासर 5 रामेश्वरलाल पुत्र सुरजाराम हि 7/20 जाति महाब्राह्मण (अचरिज) नि० गोगासर खातेदार राहिन हि पूर्ण स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा गोगासर	180 मी दक्षिणी 181 मी पश्चिमी 249	2-0235 बा. दो 10-0918 बा. दो 2-8707 बा. दो	0-81 4-04 1-15
	किता	3	14-9860 बा. दो	6-00

योग

तहसीलदार रतनगढ़ डिक्री का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे।

Spaini

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रतनगढ़ (राज०)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2019.11.05 15:22:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: